

PAG 2077
11/9/19

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं04(2)चिस्वा / 2 / 19

जयपुर,दिनांक: 27.8.19

डॉ० प्रेमराज पॅवार,
वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी),
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,
पोकरण (जैसलमेर)।

4766

30 AUG 2019
महोदय,

विषय:- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 08.09.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा दिनांक 08.09.2019 से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध किया है। आपके विरुद्ध राजस्थान सेवा नियम, 1958 के नियम 17 सीसीए में कार्यवाही लम्बित होने के कारण आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

अतः आपको दिनांक 08.09.2019 से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिया जाना संभव नहीं है।

भवदीय,

—

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1- निदेशक(जन स्वा),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज०जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ० पॅवार को आज ही पत्र डिलीवर कर इस विभाग को अवगत करावें।
- 2- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ० पॅवार को आज ही पत्र डिलीवर कर इस विभाग को अवगत करावें।
- 3- रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक ई-26/व0वि0/पी-535/2019/ 10/11/ दिनांक 5/9/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- 1 मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर।
- 2 प्रभारी अधिकारी, सामु0स्वा0केंद्र पोकरण जैसलमेर।
- 3 डॉ प्रेमराज पवार, व0वि0 द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
- 4 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख कि आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावे।
- 5 रक्षित पनावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

48
5/9/2019